न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1985–एक/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 22–03–14 पारित अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 30/2011–12 अपील.

मानसिंह पिता हरनाथसिंह,
नि0 गाम आगखेड़ी, तह0 कालापीपल,
जिला शाजापुर, म0प्र0 ––– आवेदक

विरूध्द

1– सीताराम पिता हीरालाल
2– बाबूलाल पिता हीरालाल
3– गेन्दालाल पिता हीरालाल
4– जगदीश पिता हीरालाल
5– सोहन पिता हीरालाल
6– धनकुंवर बाई बेवा जीतमल
7– गजराजसिंह पिता जीतमल
8– उबलीबाई पिता जीतमल
9– द्वारकाप्रसाद पिता जीतमल
समस्त नि0 ग्राम आगखेड़ी, तह0 कालापीपल,
जिला शाजापुर, म0प्र0 ––– अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक – अनावेदक क0–1
श्री विनोद भार्गव अभिभाषक – अनावेदक क 2, 4 एवं 7
अना. क. 3, 5, 6, 8 एवं 9 एक पक्षीय हैं ।

आदेश

(आज दिनांक २० मार्च, ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 30/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22–03–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक सीताराम ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया कि आवेदनकर्त्ता सर्वे कमांक 198/1 रकबा 0.400 हे0 का भूमिस्वामी है, किन्तु उसका आधिपत्य मात्र 0.209 हे0 पर है। सर्वे कमांक 198 के तीन बटा नम्बर खसरे में इन्द्राज हैं। सर्वे क0 198/1 रकबा 0.400, 198/2 रकबा 0.415 तथा सर्वे क0 198/3 रकबा 0.314 है। अतः उन्होंने कब्जा वापिस दिलाने का अनुरोध किया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18–7–05 व्दारा 198/1 की उत्तर दिशा से लगी हुई 0.087 हे. भूमि का कब्जा सीताराम को दिये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31–11–05 व्दारा अपील स्वीकार की और प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया कि प्रकरण पंजीबध्द कर नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही करने हेतु संबंधित भूमिस्वामी को पक्षकार बनाते हुए आदेश पारित किया जाय और तत्पश्चात भूमिस्वामी के स्वत्व के मान से एवं मौके की स्थिति के मान से फर्द बंटान प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण किया जाय। इस आदेश के विरूध्द सीताराम व्दारा प्रस्तुत निगरानी अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 22–3–07 व्दारा खारिज की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–06–09 व्दारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश उचित होना मान्य किया।

3/ प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर तहसील न्यायालय व्दारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। हल्का पटवारी ने 8 विस्वा भूमि सर्वे नम्बर 192 से कम करके 198/1 में सम्मिलित की जाना प्रस्तावित किया तथा रिपोर्ट प्रस्तावित नक्शा सहित प्रस्तुत की। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 21–6–2010 व्दारा फर्द बटांकन अनुसार सीताराम का आवेदनपत्र स्वीकार कर कब्जा सौपे जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30–7–11 व्दारा खारिज। व्दितीय अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 22–03–14 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

192/1 कायम कर अनावेदक क0–1 को कब्जा देने के आदेश दिये गये हैं जो अवैधानिक है। तहसील न्यायालय व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को ना तो पक्षकार बनाया और ना ही उसे सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया। उनका तर्क है कि नक्शे में त्रुटि होने पर उसका सुधार संहिता की धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार कराया जाना चाहिये था। संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही नहीं की जा सकती। नक्शे में भूमि की कमी होने से किसी अन्य भूमिस्वामी के स्वत्व की भूमि से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक के विव्दान अभिभाषक ने लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह कहा है कि तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये हैं। इस आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त व्दारा स्थिर रखा गया है जिसमें निगरानी में हस्तक्षेप का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि सीमांकन की कार्यवाही के विरूध्द किसी भी व्यक्ति व्दारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, इसलिये सीमांकन कार्यवाही अपने स्थान पर अंतिम हो चुकी है। तहसीलदार ने नक्शा दुरूस्ती का कोई आदेश पारित नहीं किया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

6/ विचारण तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क0–1 सीताराम व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति व्दारा अनाधिकृत आधिपत्य होने पर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात भूमि का कब्जा वापिस दिलाया जा सकता है, किन्तु इस प्रकरण में फर्द बटांकन के आधार पर रकबे की पूर्ति दूसरे खसरे नम्बर से कर अनावेदक सीताराम को कब्जा दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, जो संहिता की धारा 250 के प्रावधानानुसार नहीं हैं। प्रकरण में उपलब्ध पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 19–05–10 में भूमि सर्वे कमांक 198 की आकृति नक्शे में कम बनी होना तथा खसरे में रकबा अधिक

दर्ज होना दर्शाया है। अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 31–11–05 व्दारा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है कि प्रकरण पंजीबध्द कर नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही करने हेतु संबंधित भूमिस्वामी को पक्षकार बनाते हुए आदेश पारित किया जाय और तत्पश्चात भूमिस्वामी के स्वत्व के मान से एवं मौके की स्थिति के मान से फर्द बंटान प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण किया जाय, किन्तु इस प्रत्यावर्तन आदेशानुसार नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रकरण पंजीबध्द किये बिना ही तहसीलदार व्दारा आदेश पारित किये गये है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि नक्शा दरूस्ती की कार्यवाही संहिता की धारा 107 के अनुसार कलेक्टर व्दारा ही की जा सकती है और तहसीलदार को नक्शा दुरूस्ती की अधिकारिता नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों व्दारा भी आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, इसलिये अपीलीय न्यायालयों के आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22–03–14, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–07–11 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 21–06–2010 निरस्त किये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,